

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 182  
12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए  
ठोस अपशिष्ट तथा बहिःस्राव प्रसंस्करण क्षमता

\*182. श्री अशोक कुमार रावत:

श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर के शहरों में ठोस अपशिष्ट और बहिःस्राव प्रसंस्करण क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने और स्रोत पर ही इसके पृथक्करण में मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अपशिष्ट-से-ऊर्जा या 'बायो-मिथेनेशन' से संबंधित कोई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान की गई सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
आवासन और शहरी कार्य मंत्री  
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

"ठोस अपशिष्ट तथा बहिःस्राव प्रसंस्करण क्षमता" के संबंध में 12.02.2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए एसबीएम-यू 2.0 शुरू किया, जिसका उद्देश्य 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान और सभी पुराने कचरा स्थलों के शोधन सहित कचरे के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन करके सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है।

जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वच्छतम पोर्टल पर सूचित किया गया है, 97 प्रतिशत वार्डों ने घर-घर जाकर 100 प्रतिशत कचरे का संग्रह किया है, 88 प्रतिशत वार्डों ने नगरपालिका ठोस कचरे का 100 प्रतिशत पृथक्करण किया है। देश के शहरी क्षेत्रों में कुल 1,62,293 टन प्रति दिन (टीपीडी) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 1,32,514 टीपीडी प्रसंस्कृत किया जाता है अर्थात् 2014 में 16 प्रतिशत अपशिष्ट प्रसंस्करण की तुलना में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे, सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), ट्रांसफर स्टेशन, खाद संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी), अपशिष्ट से बिजली, बायो-मिथेनेशन संयंत्र आदि सहित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 81.65 प्रतिशत हो गई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीपीसीबी की "भारत में सीवेज शोधन संयंत्रों की राष्ट्रीय सूची - 2021" शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार देश में एसटीपी की कुल स्थापित क्षमता 26,869 एमएलडी थी। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा दिसंबर, 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, देश में एसटीपी की कुल स्थापित क्षमता 36,048 एमएलडी है। इसके अलावा, औद्योगिक बहिःस्राव के शोधन के लिए 2,245 एमएलडी की संयुक्त बहिःस्राव शोधन क्षमता वाले 225 सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र चालू हैं।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वच्छतम पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में 20,050 टीपीडी के 17 अपशिष्ट से विद्युत (डब्ल्यूटीई) संयंत्र और 5,833 टीपीडी के 140 बायो-मिथेनेशन संयंत्र चालू हैं। इसके अलावा, 10,078 टीपीडी डब्ल्यूटीई संयंत्र और 18,655 टीपीडी बायो-मिथेनेशन (सीबीजी) संयंत्रों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में चल रहा है। चालू

डब्ल्यूटीई संयंत्रों और बायो-मिथेनेशन संयंत्रों का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ) शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और निष्पादन के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नियमावली/प्रक्रियाओं के मानक (एसओपी) को साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी परामर्शिकाएं/दशानिर्देश/एसओपी <https://sbmurban.org/technical-advisories> पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, एसबीएम-यू के तहत, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाता है, जिन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनकी कार्य योजना के अनुसार यूएलबी को हस्तांतरित किया जाता है।

\*\*\*\*\*

"ठोस अपशिष्ट तथा बहिःस्राव प्रसंस्करण क्षमता" के संबंध में 12.02.2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

चालू डब्ल्यूटीई संयंत्रों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	शहर का नाम	डिज़ाइन क्षमता (टीपीडी)
1	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	1200
2	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	1200
3	दिल्ली	गाजीपुर	1300
4	दिल्ली	नरेला-बवाना	2400
5	दिल्ली	ओखला	1950
6	दिल्ली	तहखंड	2000
7	गुजरात	जामनगर	650
8	गुजरात	अहमदाबाद	1000
9	हरियाणा	सोनीपत क्लस्टर	800
10	कर्नाटक	बैंगलूरु	600
11	मध्य प्रदेश	जबलपुर	600
12	मध्य प्रदेश	रीवा	350
13	महाराष्ट्र	पीसीएमसी	700
14	राजस्थान	जयपुर	700
15	तेलंगाना	हैदराबाद	2000
16	तेलंगाना	हैदराबाद	1400
17	तेलंगाना	हैदराबाद	1200
कुल			20050

"ठोस अपशिष्ट तथा बहिःस्राव प्रसंस्करण क्षमता" के संबंध में 12.02.2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

चालू बायो-मिथेनेशन संयंत्रों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संयंत्रों की संख्या	डिज़ाइन क्षमता (टीपीडी)
1	आंध्र प्रदेश	8	188
2	असम	1	5
3	चंडीगढ़	1	5
4	गोवा	17	1220
5	गुजरात	2	400
6	हरियाणा	2	17
7	हिमाचल प्रदेश	1	5
8	झारखंड	3	169
9	कर्नाटक	9	111
10	केरल	6	34
11	मध्य प्रदेश	5	595
12	महाराष्ट्र	46	824
13	पुडुचेरी	1	20
14	पंजाब	1	15
15	राजस्थान	3	257
16	तमिलनाडु	15	180
17	तेलंगाना	1	10
18	उत्तर प्रदेश	4	33
19	उत्तराखंड	3	116
20	पश्चिम बंगाल	2	49
	<b>कुल</b>	<b>131</b>	<b>4253</b>

चालू बायो-सीबीजी संयंत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संयंत्रों की संख्या	डिज़ाइन क्षमता (टीपीडी)
1	गुजरात	1	100
2	दिल्ली	1	100
3	महाराष्ट्र	2	1020
4	कर्नाटक	2	10
5	केरल	1	150
6	तमिलनाडु	2	200
	<b>कुल</b>	<b>9</b>	<b>1580</b>

\*\*\*\*\*